शेख रफीक एवं अन्य

बनाम

महाराष्ट्र राज्य

(आपराधिक अपील संख्या 169 सन् 2006)

दिनांक 22 जनवरी, 2008

(माननीय न्यायाधिपतिगण पी.पी. नावलेकर एवं मार्कंडेय काटजू)

भारतीय दण्ड संहिता, 1860: धारा 302/34 - जलने के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु - मृत्युकालिक बयानों में दो व्यक्तियों को मृतक की बहू के साथ अपराध में शामिल बताया गया – घर में मौजूद तीसरे आरोपी ने मृतक पर मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगा दी थी – इसका उद्देश्य मृतक द्वारा अपनी बहू को घर में रखे जाने से इन्कार करना बताया गया – मृत्यकालिक बयान पुलिस अधिकारी द्वारा दर्ज किया गया, जिस पर चिकित्सा अधिकारी द्वारा कोई स्वस्थता प्रमाणपत्र संलग्नित नहीं था – विचारण न्यायालय द्वारा दो अभियुक्तों को दोषी ठहराया गया तथा मृतक की बहू को दोषमुक्त कर दिया गया – उच्च न्यायालय द्वारा उक्त आदेश की पुष्टि की गई – अभिनिर्धारित: ऐसे मृत्युकालिक बयान और जिस तरीके से इसे दर्ज किया गया, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता – साथ ही अभियोजन का मामला विश्वसनीय प्रतीत नहीं होता – दोषसिद्ध किए गए

दोनों अभियुक्तगण का मृतक की बहू के साथ कोई सीधा संबंध नहीं था। अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण को दोषमुक्त किया गया – साक्ष्य अधिनियम, 1872 – मृत्युकालिक बयान।

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार : आपराधिक अपील संख्या 169 सन् 2006

बॉम्बे उच्च न्यायालय, खण्डपीठ औरंगाबाद की आपराधिक अपील संख्या 509 सन् 2004 के अन्तिम निर्णय और आदेश दिनांक 19.09.2005 के विरुद्ध।

बीना माधवन (मै. लॉयर्स निट एण्ड कम्पनी के लिए), अपीलार्थीगण की ओर से।

सुशील करंजकर (रविन्द्र के . एडश्योर के लिए), प्रत्यार्थी की ओर से।

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश सुनाया गया:

आदेश

अपीलार्थीगण/अभियुक्त सं. 1 शेख रफीक तथा अपीलार्थी/अभियुक्त संख्या 2 फातिम बी सहित अभियुक्त संख्या 3 जैबुनिसा पर नूर मिया मोहम्मद हुसैन की हत्या करने का मुकदमा चलाया गया था। सत्र न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण संख्या 1 व 2 को भारतीय दण्ड

संहिता की धारा 302 सपठित धारा 34 के तहत दोषसिद्ध ठहराया गया तथा प्रत्येक अभियुक्त को आजीवन कारावास एवं 5,000/- रुपये के अर्थदण्ड के दण्ड से दण्डित किया गया। अदम अदायगी अर्थदण्ड 6 महीने के साधारण कारावास की सजा से दण्डित किया गया। अभियुक्त संख्या 3 जैबुनिसा को सत्र न्यायालय ने दोषमुक्त कर दिया था। उच्च न्यायालय द्वारा अपील में सत्र न्यायालय के उक्त आदेश की पुष्टि की गई। उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय से व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से यह अपील पेश की।

2. अभियोजन पक्ष के मामले के अनुसार, दिनांक 3.11.2022 को दोपहर करीब 12 बजे पी.डब्ल्यू.1 श्री मारोती, सहायक पुलिस उप-निरीक्षक सिविल अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी से सूचना प्राप्त होने पर अस्पताल के बर्न वार्ड में पहुंचा जहां उसने नूर मिया मोहम्मद हुसैन को झुलसी हुई हालत में पाया। पी.डब्ल्यू.1 ने नूर मिया मोहम्मद हुसैन (जो अब मृतक है) से घटना बाबत जांच की जिसने बताया कि अपीलार्थीगण/अभियुक्तगण संख्या 1 व 2, अभियुक्त संख्या 3 जैबुनिसा (मृतक की बहू) के साथ उसके घर आए। जहां अपीलार्थी संख्या 1 व 2 ने अभियुक्त संख्या 3 को उसके साथ रखने के लिए जोर दिया। इस आग्रह को उसने अस्वीकार कर दिया। इस पर नूर मिया मोहम्मद हुसैन एवं अपीलार्थीगण के मध्य कुछ कहासुनी हो गई तथा इसके बाद अपीलार्थी

संख्या 2 ने नूर मिया मोहम्मद हुसैन पर मिट्टी का तेल उढ़ेल दिया तथा अपीलार्थी संख्या 1 ने नूर मिया मोहम्मद हुसैन के माचिस की तीली से आग लगा दी। अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि पूरी तरह मृत्युकालिक बयान पर आधारित थी जो गवाह पी.डब्ल्यू.1 द्वारा दर्ज किए गए थे। इस गवाह ने जाहिर किया कि नूर मिया मोहम्मद हुसैन (अब मृतक) ने बताया कि अपीलार्थी संख्या 1 व 2 तथा इसकी बहू आरोपिया संख्या 3 जैबुनिसा के साथ इसके घर आए तथा इस पर आरोपिया संख्या 3 को अपने घर में रखने के लिए जोर डाला। मृतक के इन्कार करने पर, अपीलार्थीगण और मृतक के बीच कुछ विवाद हुआ तथा इसके बाद अपीलार्थी संख्या 2 ने नूर मिया मोहम्मद हुसैन (अब मृतक) पर मिट्टी का तेल डाल दिया तथा अपीलार्थी संख्या 1 ने उसे आग लगा दी। इस गवाह ने मृत्युकालिक कथन नूर मिया मोहम्मद हुसैन को पढ़कर सुनाए तथा इस पर नूर मिया मोहम्मद हुसैन के हस्ताक्षर लिए। मृत्युकालिक बयान पर चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर भी हैं। अपनी प्रतिपरीक्षा में, गवाह ने कहा कि वह पिछले 30 वर्षों से पुलिस विभाग में सेवारत है, मृत्युकालिक बयान दर्ज करने की प्रक्रिया के बारे में जानता है और इस तथ्य से अवगत था कि विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट भी मृत्युकालिक बयान दर्ज करने के लिए वहां उपलब्ध थे, लेकिन गवाह ने इनमें से किसी को भी नहीं बुलाया। गवाह ने यह भी स्वीकार किया कि नूर मिया मोहम्मद हुसैन (अब मृतक) की पहचान करने के लिए वह चिकित्सा अधिकारी के साथ बर्न वार्ड में गया

था तथा इसने चिकित्सक से ऐसा फिटनेस प्रमाणपत्र नहीं लिया कि नूर मिया मोहम्मद हुसैन (अब मृतक) बयान देने की स्थिति में है या नहीं। इसने आगे यह स्वीकार किया कि इसने नूर मिया मोहम्मद हुसैन (अब मृतक) की चैतन्य स्थिति के बारे में भी चिकित्सा अधिकारी की टिप्पणी बयान पर अंकित नहीं कराई तथा मृत्युकालिक बयान दर्ज कराने का समय भी अंकित नहीं किया।

3. ऐसे मृत्युकालिक बयान तथा इसे जिस तरीके से दर्ज किया गया था, इसे ध्यान में रखते हुए हम गवाह पी.डब्ल्यू.1 द्वारा दर्ज किए गए उक्त मृत्युकालिक बयान पर भरोसा नहीं कर सकते। इस तथ्य के अतिरिक्त, अपीलार्थीगण को इस मामले में लिप्त मानने हेतु पत्रावली पर कोई अन्य साक्ष्य नहीं है।

4. इसके अतिरिक्त, अभियोजन की कहानी भी असंभाव्य सी प्रतीत होती है। अभियोजन पक्ष का मामला यह है कि मृतक की बहू अपीलार्थीगण के साथ मृतक के घर आई और वहां कुछ विवाद हुआ और उसके बाद अपीलार्थी संख्या 2 ने मृतक के शरीर पर मिट्टी का तेल डाला तथा अपीलार्थी संख्या 1 ने माचिस की तीली जलाकर उसे आग लगा दी। हम यह समझ पाने में विफल हैं कि अपीलार्थीगण मृतक के घर में केरोसिन क्यों लेकर जाएंगे, जबकि वे तो झगड़े को सुलझाने के लिए वहां गए थे। हम यह समझ पाने में भी असफल हैं कि अपीलार्थीगण द्वारा नूर

मिया मोहम्मद हुसैन (अब मृतक) को आग लगाने जैसा क्रूर कदम क्यों उठाया गया जबकि उनका नूर मिया मोहम्मद हुसैन (अब मृतक) की बहू के साथ कोई सीधा संबंध ही नहीं था। अभियोजन पक्ष द्वारा पेश की गई कहानी में बताई गई पूरी घटना जिस प्रकार घटित होना बताया गया है, पूरी तरह से असंभाव्य है और इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

5. उपरोक्त कारणों से, हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष का कोई मामला नहीं बनता है और अपीलार्थी/अभियुक्त दोषमुक्त होने के अधिकारी हैं। तद्नुसार, अपील स्वीकार की जाती है। निचली अदालतों, अर्थात् उच्च न्यायालय और सत्र न्यायालय के निर्णयों को अपास्त किया जाता है। अभियुक्तगण/अपीलार्थीगण की यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है तो उन्हें स्वतंत्र कर दिया जावे।

अपील स्वीकार की गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल **'सुवास'** की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राघवेन्द्र काछवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।